प्रा0पत्र/01/2023 **न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर**

राज.सरकार जरिये वैशाली धाकड़ प्रवर्तन निरीक्षक रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री राहुल
2. श्री लोकेश } पुत्रान श्री महेश निवासी नोंह बछामदी, भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद

निर्णय **दिनांक 27.12.2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.2023 को प्रवर्तन निरीक्षक बयाना, नायब तहसीलदार बयाना एवं हैड कॉस्टेबल की संयुक्त टीम द्वारा उपखण्डाधिकारी बयाना के आदेश की पालना में झील का बाडा स्थित राहुल सिहं की दुकान पर पहुॅच कर जॉच की गई। राहुल सिहं दुकान पर मौजूद नहीं था। जॉच के दौरान दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 भरा एवं 2 खाली) जिन्हें वैधानिक रूप से घरेलू उपभोक्ता के रसोई घर में ही प्रयुक्त किया जा सकता है, को एक व्यावसायिक परिसर में अवैध रूप से संग्रहित कर गैरकानूनी रूप से व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना पाया गया। दुकान पर काम करने वाले लोकेश से पूछताछ करने पर उक्त मौजूद सिलेण्डरों के सम्बन्ध में किसी अनुमति, वैधता सम्बन्धी दस्तावेज या अभिकथन प्रस्ततु नहीं किया गया। अप्रार्थी0 का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का उल्लंघन होने के कारण 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 भरा एवं 2 खाली) 14.2 किग्रा भराव क्षमता, को बजह सबूत जप्त किया गया। जप्त किये गये उक्त गैस सिलेण्डर को राजसात (Conficate) किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी0 स्वंय उपस्थित आये। बाद में अप्रार्थी0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं ऐसी स्थिति में पैरोकार सरकार रसद की इकतरफा में बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि के लिये कर रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का उल्लंघन होने के कारण 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 भरा एवं 2 खाली) मय एलपीजी राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी0 से मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रुप से एलपीजी गैस का उपयोग व्यावसायिक गतिविधी के लिये करता पाया गया है। अप्रार्थी0 का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का उल्लंघन होने के कारण 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 भरा हुआ मय एलपीजी एवं 2 खाली) राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 भरा हुआ मय एलपीजी एवं 2 खाली) को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 गैस सिलेण्डर 3.7 किग्रा एलपीजी भरा हुआ एवं 2 खाली) सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि, कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर